कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com *Telefax.05942-236790*

पत्रांकः— 1093 /12–1 दिनांक 24/9 /2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— जनपद—नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ में मौना—ल्वेशाल—कालापातल मोटर मार्ग के कि०मी० 10 से इण्टर कॉलेज व प्रा०पा० होते हुये मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरो तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.90 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन। **Online Proposal No. FP/UK/ROAD/42523/2016**

संदर्भ :— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी/06/132/2020/एफ.सी./510 दिनांक 04.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों की आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है —

क्र. सं.	आपत्ति	आख्या
1	The road cutting work has not been done as per approved KML file. which is violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980. State Government is requested to submit the justification.	प्रस्तावक विभाग से इस सम्बन्ध में आख्या चाही गयी थी, जिसमें उनके द्वारा अपने पत्रांक 2096/15mg दिनांक 19.9.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि "मोटर मार्ग का निर्माण (पहाड़ कटान कार्य) स्वीकृत समरेखण एवं वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षों के पातन के अनुरूप ही किया गया है, जिस हेतु कार्यस्थल पर वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर उपरोक्त कथन की पुष्टि कर ली गयी है एवं जहाँ तक KML फाईल में विचलन प्रदर्शित हो रहा है। यह त्रुटि तत्समय बनाई गयी KML फाईल के कारण प्रदर्शित हो रही है। क्योंकि उस समय तक विभाग के पास KML फाईल बनाने में दक्षता नहीं थी।"
2	Proper CA Scheme for 1800 plants shall be submitted.	1800 वृक्षों की योजना संलग्न है।
3	KML File and location details of CA area shall be submitted.	KML File एवं स्थल सम्बन्धी सूचना संलग्न है।
4	As per condition No. 7 of stage- I approval. a copy of work order issued by DFO for tree cutting, road cutting etc. is not found submitted. which shall be furnished.	वृक्षों के पातन तथा कार्य प्रारम्भ करने सम्बन्धी आदेश संलग्न है।

संलग्नक :— उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक 1093/12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 2096 / 1SM·g दिनांकः– 19/09/2025

पंजीकरण संख्या 2159
पत्रावली 124
दिनांक 19/09/25

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में मौना–ल्वेशाल–कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से इण्टर कालेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.90 हैं0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को को प्रत्यावर्तन। Online Proposal No. FP/UK/ROAD/42523/2016

सन्दर्भः– आपका कार्यालय पत्रांक 156 / 12–1 दिनांक 11.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में चाही गयी आख्या बिन्दुवार निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है:–

क्र0 सं0	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल का पत्र संख्या 6866 / 12–1 दिनांक 05.05.2025 में अंकित बिन्दु	प्रतिउत्तर
1.	उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करते हुये मोटर मार्ग में कार्य की स्थिति से अवगत करायें।	मोटर मार्ग का निर्माण (पहाड़ कटान का कार्य) स्वीकृत समरेखण एवं वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षों के पातन के अनुरूप ही किया गया है जिस हेतु कार्यस्थल पर वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर उपरोक्त कथन की पुष्टि कर ली गयी है एवं जहॉ तक के0एम0एल0 फाईल में विचलन प्रदर्शित हो रहा है। यह त्रुटि तत्समय बनाई गयी के0एम0एल0 फाईल के कारण प्रदर्शित हो रही है। क्योंकि उस समय तक विभाग के पास के0एम0एल0 फाईल बनाने की दक्षता नहीं थी।
2.	1800 वृक्षों हेतु रिक्त स्थान पर 1.80 हैं0 पर CA Scheme तैयार करते हुये इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।	इस क्रम में 1800 वृक्षों हेतु रिक्त स्थानों पर 1.80 हैं0 क्षेत्र CA Scheme तैयार कर उत्तरी गौला वन क्षेत्र कार्यालय द्वारा पृथक से प्रेषित की जा रही है।
3.	CA हेतु KML तथा विवरण इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।	इस क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का के0एम0एल0 फाईल तैयार कर मय लोकेशन के साहित उत्तरी गौला वन क्षेत्र कार्यालय द्वारा पृथक से प्रेषित की जा रही हैं।
4.	लौट आवंटन आदेश अथवा मार्ग निर्माण की स्थिति में कार्यादेश उपलब्ध करायें।	इस क्रम में अवगत कराया जाना है कि वन निगम को लौट संख्या 24 / 2022–23 आवंटित की गयी है। जिसकी छाया प्रति उत्तरी गौला वन क्षेत्र कार्यालय द्वारा पृथक रूप से प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्त बिन्दुवार आख्या के अतिरिक्त पूर्व में भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.04.2025 तथा आपके पत्र दि0 05.05.2025 एवं दि0 16.06.2025 के निर्देशों के सम्बन्ध में दि0 18.06.2025 वन क्षेत्राधिकारी, नथुवाखान के साथ स्थल निरीक्षण आख्या में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। (सुलभ संदर्भ हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न है) खण्ड स्तर से वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा वन संरक्षण संर्वद्धन, नियमावली 2023 की किसी भी सुसंगत धाराओं का उल्लंघन नहीं किया गया है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1. सहायक अभियन्ता–पंचम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

प्राक्कलन वावत् जनपद नैनीताल के अर्न्तगत विकास खण्ड रामगढ़ में मौना ल्वैशाल कालापातल मोटर मार्ग के किमी 10 ल्वैशाल इण्टर कालेज से प्राचीन कालीरौ मंदिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पूर्वी प्यूड़ा क0 सं0 02 के 02.00 है0 क्षेत्र।

क. स.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		योग
	प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा)					
1	साईड़ स्पेसिफिक प्लान (सर्वे ड़िमार्केशन, के0एम0एल0 फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य मृदा परीक्षण कार्य)	1.800	है0	1300.00	प्रति है0	2340.00
2	क्षेत्र की सफाई	1.800	है0	1260.00	प्रति है0	2268.00
3	कुलीवाल (100 घ0 मी0 प्रति है0 193 र0 मी0 प्रति है0 (1x0.45x1.15)	180.00	घ0 मी0	682.00	प्रति घ0 मी0	122760.00
4	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	2160	पौध	16.68	प्रति पौध	36028.80
5	गड़डा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1800	गड़डे	15.60	गड़ड़े	28080.00
6	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य 1– कन्टूर ट्रिन्च 450 र0मी0 (450x35=15750.00) (औसत साईज–1x0.30x0.30) 2– चाल–खाल 2 सं0 (2x6500=13000) (औसत साईज – 4x2.5x1.00) कुल योग– 28750.00	1.800	है0	28750.00	प्रति है0	51750.00
7	निरीक्षण बटिया	1.800	है0	1045.00	प्रति है0	1881.00
					योग	**245107.80**
8	अन्य आकस्मिक व्यय– स्टेशनरी, हार्ड़वेयर / साफ्टवेयर, मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण, निरीक्षण हेतु वाहन किराया / ईधन श्रम कल्याण व औजार आदि)	1.800	है0	1500.00	प्रति है0	**2700.00**
					कुल योग	**247807.80**
	द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण)					
1	गड़डा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1.80	गड़डे	2.60	प्रति गड़डा	4.68
2	कन्टूर फर्रो में बीज बुआई	810	र0 मी0	1.69	प्रति र0मी0	1368.90
3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	2160	पौध	2.53	प्रति पौध	5464.80
4	पौध ढुलान वाहन द्वारा 50 किमी0 दूरी से लोड़िंग व अनलोड़िंग सहित	1800	पौध	11.70	प्रति पौध	21060.00
5	सिर बोझ ढुलान 03 किमी0	1800	पौध	9.30	प्रति पौध	16740.00
6	पौध रोपण	1800	पौध	4.51	प्रति पौध	8118.00
7	निराई गुड़ाई प्रथम बार	1800	पौध	1.51	प्रति पौध	2718.00
8	निराई गुड़ाई द्वितीय बार	1800	पौध	1.51	प्रति पौध	2718.00
9	खाद / रसायन	1800	पौध	0.46	प्रति पौध	828.00
10	देख–रेख व रख–रखाव 08 माह (कम से कम 05 है0 पर)(12844 दर से 08 माह) 05 है0 =20550.00	1.800	है0	20550.00	प्रति है0	36990.00
11	सुरक्षा दीवाल / घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.800	है0	390.00	प्रति है0	702.00
12	वृक्षारोपण अर्न्तगत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिंगलिंग–प्रूनिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है0)	1.800	है0	23.40	प्रति है0	4212.00
13	वृक्षारोपण क्षेत्र अर्न्तगत प्रति है0 450 कटिंग का रोपण कार्य	1.800	है0	1.50	प्रति है0	1215.00
					योग	**102139.38**
14	अन्य आकस्मिक व्यय– स्टेशनरी, हार्ड़वेयर / साफ्टवेयर, मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण, निरीक्षण हेतु वाहन किराया / ईधन श्रम कल्याण टोकरी, बरसाती औजार व साईन बोड़ लगाना (3x4 फीट) आदि	1.800	है0	1600.00	प्रति है0	**2880.00**
					कुल योग	**105019.38**
					या	**322020.00**

तृतीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.800	है0	30826.00	प्रति है0	55486.80
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व ढुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	360	पौध	41.00	प्रति पौध	14760.00
3	निराई–गुड़ाई प्रथम बार	1359	पौध	1.51	प्रति पौध	2052.09
4	निराई–गुड़ाई द्वितीय बार	1359	पौध	1.51	प्रति पौध	2052.09
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.800	है0	390.00	प्रति है0	702.00
					योग	**75052.98**
6	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1.800	है0	100.00	प्रति है0	**180.00**
				कुल योग		**75232.98**
चतुर्थ वर्ष– अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.800	है0	30826.00	प्रति है0	55486.80
2	10 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व ढुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	180	पौध	41.00	प्रति सैकड़ा	7380.00
3	निराई–गुड़ाई प्रथम बार	1359	पौध	1.51	प्रति पौध	2052.09
4	निराई–गुड़ाई द्वितीय बार	1359	पौध	1.51	प्रति पौध	2052.09
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.800	है0	390.00	प्रति है0	702.00
					योग	**67672.98**
6	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1.800	है0	100.00	प्रति है0	**180.00**
				कुल योग		**67852.98**
पंचम वर्ष– अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.800	है0	30826.00	प्रति है0	55486.80
2	निराई–गुड़ाई प्रथम बार	1359	पौध	1.51	प्रति पौध	2052.09
3	निराई–गुड़ाई द्वितीय बार	1359	पौध	1.51	प्रति पौध	2052.09
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.800	है0	390.00	प्रति है0	702.00
					योग	**60292.98**
5	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1.800	है0	100.00	प्रति है0	**180.00**
				कुल योग		**60472.98**
षष्टम वर्ष– अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.800	है0	30826.00	प्रति है0	55486.80
2	निराई–गुड़ाई प्रथम बार	1359	पौध	1.51	प्रति पौध	2052.09
3	निराई–गुड़ाई द्वितीय बार	1359	पौध	1.51	प्रति पौध	2052.09
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.800	है0	390.00	प्रति है0	702.00
					योग	**60292.98**
5	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1.800	है0	100.00	प्रति है0	**180.00**
				कुल योग		**60472.98**

सप्तम वर्ष– अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.800	है0	30826.00	प्रति है0	55486.80
2	निराई–गुड़ाई प्रथम बार	1359	पौध	1.51	प्रति पौध	2052.09
3	निराई–गुड़ाई द्वितीय बार	1359	पौध	1.51	प्रति पौध	2052.09
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.800	है0	390.00	प्रति है0	702.00
					योग	**60292.98**
5	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1.800	है0	100.00	प्रति है0	**180.00**
				कुल योग		**60472.98**
अष्टम वर्ष– अनुरक्षण कार्य (षष्टम वर्ष)						
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.800	है0	30826.00	प्रति है0	55486.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.800	है0	390.00	प्रति है0	702.00
					योग	**56188.80**
3	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1.800	है0	100.00	प्रति है0	**180.00**
				कुल योग		**56368.80**
नवम वर्ष– अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)						
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.800	है0	30826.00	प्रति है0	55486.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.800	है0	390.00	प्रति है0	702.00
					योग	**56188.80**
3	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1.800	है0	100.00	प्रति है0	**180.00**
				कुल योग		**56368.80**
दशम वर्ष– अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)						
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.800	है0	30826.00	प्रति है0	55486.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.800	है0	390.00	प्रति है0	702.00
					योग	**56188.80**
3	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1.800	है0	100.00	प्रति है0	**180.00**
				कुल योग		**56368.80**
एकादश वर्ष– अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)						
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.800	है0	30826.00	प्रति है0	55486.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.800	है0	390.00	प्रति है0	702.00
					योग	**56188.80**
3	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1.800	है0	100.00	प्रति है0	**180.00**
				कुल योग		**56368.80**

द्वादश वर्ष– अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)						
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.800	है0	30826.00	प्रति है0	55486.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.800	है0	390.00	प्रति है0	702.00
					योग	56188.80
3	अन्य आकस्मिक व्यय–02 प्रतिशत	1.800	है0	100.00	प्रति है0	180.00
				कुल योग		56368.80
योग (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश तक)				कुल योग		1176176.70

..1176176/..हस्ताक्षर

नामित्रकार
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

विकास कार्य रोड

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmali.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 117 / 9-1 दिनांक 12/ 7 /2022

सेवा में

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, नैनीताल।

विषयः– **जनपद नैनीताल के विकासखण्ड़ रामगढ के अर्न्तगत लक्ष्मीखान–नथुवाखान प्यूड़ा क्वारब मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों के छपान सूची।**

महोदय,

वन क्षेत्राधिकारी उत्तरी गौला राजि द्वारा जनपद नैनीताल के विकासखण्ड़ रामगढ के अर्न्तगत लक्ष्मीखान–नथुवाखान प्यूड़ा क्वारब मोटर मार्ग में प्रभावित की छपान सूची प्रेषित की जा रही है।

लौट संख्या 09/2022–23

उक्त लौट की सूची संलग्न कर प्रेषित है। आप बिकी शर्तों के अन्तर्गत इस लौट में कार्य करें तथा लौट में अवैध कटान/प्रकाष्ठ लुढ़कान किसी भी दशा में न होने पाये इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी होगी।

संलग्नकः– विक्रय सूची।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

संख्या 117 / तद्‌दिनांकित।

1. प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिप वन क्षेत्राधिकारी, उत्तरी गौला राजि को सूचनार्थ तथा इस आशय से प्रेषित कि उक्त लौट को अविलम्ब वन विकास निगम को सौंप देवें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

संलग्नकः– विक्रय सूची

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल

नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

लौट नम्बर:–

छपान घन:–

प्रबन्ध कार्य वृत्त:– चीड़ कार्य वृत्त

पातन का प्रकार:–

क्षेत्र का नाम:– नथुवाखान - प्यूड़ा - क्वारब मोटरमार्ग के कि.मी. 11 में नावली नामक स्थान से लोशज्ञानी तक 5 कि.मी. [illegible]

साइट क्वालिटी:– III

रेंज:– उत्तरी गौला रेन्ज नथुवाखान ठेके की अवधि:–

क्षेत्र का नाम	वृक्षों की प्रजाति	व्यास वर्ग ड़ेसी मीटर में																				कुल वृक्ष	घ0 मी0	दूरी कि0 मी0 मोटर रोड तक
		0–1	1–2	2–3	3–4		4–5			5–6			6–7			7–8			9 से ऊपर					
					योग्य	अयोग्य	ठोस	योग्य	अयोग्य	ठोस	योग्य	अयोग्य	ठोस	योग्य	अयोग्य	ठोस	योग्य	अयोग्य	ठोस	योग्य	अयोग्य			
लोशज्ञानी नाप क्षेत्र	चीड़	–	36	34	–	8	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81	8.157	4 Km.
		योग	36	34	–	8	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81	8.157	

(हस्ताक्षर)
(दीवानसिंह [illegible])
वन दरोगा [illegible]
छपान अधिकारी
हमारे समक्ष [illegible] द्वारा [illegible]

(हस्ताक्षर)
वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरी गौला वन क्षेत्र नथुवाखान
नैनीताल वन प्रभाग.

उप प्रभागीय वनाधिकारी

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग

1- ([illegible]) (बीटजन)
2- ([illegible] सिंह) [illegible]
3 (दिवान राम) [illegible]
4 (नवीन मोहन सिंह मोर्याल) वन बीट अधिकारी
(दीपाल सिंह) [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

विभाग

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 2970 / 12-1 दिनांक 04/03/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।

विषयः– **जनपद–नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ में मौना–ल्वेशाल–कालापातल मोटर मार्ग के कि०मी० 10 से इण्टर कॉलेज व प्रा०पा० होते हुये मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरो तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.90 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन। Online Proposal No. FP/UK/ROAD/42523/2016**

संदर्भ :– **आपकी पत्र संख्या 405/15 एम.जी दिनांक 22.03.2023।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयांकित मोटर मार्ग के सापेक्ष भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/06/132/2020/एफ०सी०/1585 दिनांक 20.10.2020 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या के आधार पर शासनादेश संख्या F.No. 11/306/2014-FC, दिनांक 07.05.2015 वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 941/X-4/18/1-05(04)/2014, दिनांक 26.09.2018 एवं भारत सरकार द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में उक्त विषयांकित मोटर मार्ग में कार्य करने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है –

1. यह अनुमति जारी होने के एक वर्ष अथवा विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने तक जो भी पहले हो तक वैध रहेगी।
2. वन भूमि पर कोई भी शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
4. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई भी अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
5. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे निस्तारण केवल मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थल पर ही किया जायेगा।
6. भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों/उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन, वन (संरक्षण), अधिनियम -1980 का उल्लंघन होगा, जिसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम 2023, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 19742 एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाना होगा।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर जोशी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक 2970/12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुक्तेश्वर उप प्रभाग, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
5. वन क्षेत्राधिकारी, उत्तरी गौला वन क्षेत्र को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेश में उल्लेखित अनुमति की वैध तिथि तक उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति की प्राप्ति ना होने की दशा में कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द करवाना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल